[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 05/2020 - सीमा शुल्क (एडीडी)
नई दिल्ली, दिनांक 7 मार्च, 2020

सा.का.नि. (अ). जहां कि चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "क्लोरीनेटेड पोली विनाइल क्लोराइड रेसिन (सीपीवीसी) - चाहे इससे आगे इनसे योगिक बनाया गया हो या नहीं", (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के शीर्षक 3904 के अंतर्गत आता है, के आयात के मामले में अधिसूचना संख्या 6/3/2019-डीजीटीआर, दिनांक 12 जुलाई, 2019, जिसे 12 जुलाई, 2019 को भारत के राजपत्र असाधारण, के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, में प्रकाशित अपने प्राथमिक निष्कर्षों के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उक्त विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी;

और जहां कि केन्द्र सरकार ने उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 33/2019-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 26 अगस्त, 2019, जिसे सा.का.नि. 600 (अ), दिनांक 26 अगस्त, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप-खंड **(i)** में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा उक्त विषयगत वस्तु पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाया था ;

और जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 6/3/2019-डीजीटीआर, 19 फरवरी, 2020 के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि–

(i) उक्त पश्नगत उत्पाद का विषयगत देशों से भारत को किया गया निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम पर हुआ था;
(ii) विषयगत देशों से होने वाले इस विषयगत वस्तु के 'डम्प्ड'आयात के कारण यहां के घरेलू उद्योगों में सारवान मंदी आई है ;

और उन्होंने यहां के घरेलू उद्योग को हुई ऐसी क्षति को दूर करने के लिए डंम्पिग मार्जिन और इंजुरी मार्जिन में से जो भी कम हो उसके बराबर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है ।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों के आधार पर, एतद्द्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मदों के अंतर्गत आती है, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में

विनिर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है, कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट प्रकार की है और भारत में आयातित है, पर विषयगत वस्तु के अवतरण मूल्य और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के अंतर के बराबर, यहां विनिर्दिष्ट मुद्रा में और माप इकाई के अनुसार निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाती है बशर्ते कि अवतरण मूल्य उक्त शुल्क सारणी के कॉलम (8) में निर्दिष्ट राशि से कम हो -

शुल्क सारणी

क्र.सं.	एच एस कोड	वस्तु का विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	विवरण	राशि यूएस डॉलर/ मीट्रिक टन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1क	3904 10 10 3904 10 20 3904 10 90 3904 21 00 3904 22 00 3904 90 10 3904 90 90	क्लोरीनेटेड पोली विनाइल क्लोराइड रेसिन (सीपीवीसी) - चाहे आगे इनसे योगिक बनाया गया हो या नहीं	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	शेंग्डोंग गाओझिन केमिकल कंपनी लिमिटेड	सीपीवीसी रेसिन	2,087
1ख			चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश		सीपीवीसी यौगिक	2,717
2क			चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	शेंग्डोंग पूजी रबर एंड प्लास्टिक कंपनी लिमिटेड	सीपीवीसी रेसिन	2,053
2ख			चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश		सीपीवीसी यौगिक	2,853
3क			चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	शेंग्डोंग झियांगशेंग न्यू मटेरियल्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	सीपीवीसी रेसिन	2,045
3ख			चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश		सीपीवीसी यौगिक	2,853
4क			चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	वेइफांग सनडो केमिकल कंपनी लिमिटेड	सीपीवीसी रेसिन	2,025
4ख			चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश		सीपीवीसी यौगिक	2,853

5क			चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	शेंग्डोंग जुयी न्यू मटेरियल्स कंपनी लिमिटेड	सीपीवीसी रेसिन	2,057
5ख			चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश		सीपीवीसी यौगिक	2,657
6क			चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	उपर्युक्त से भिन्न अन्य कोई उत्पादक	सीपीवीसी रेसिन	2,161
6ख						सीपीवीसी यौगिक	2,853
7क			चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया गणराज्य को छोड़कर कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	सीपीवीसी रेसिन	2,161
7ख						सीपीवीसी यौगिक	2,853
8क			कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य समेत कोई भी देश	कोई भी उत्पादक	सीपीवीसी रेसिन	2,024
8ख						सीपीवीसी यौगिक	2,853
9क			चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया गणराज्य को छोड़कर कोई भी देश	कोरिया गणराज्य	कोई भी उत्पादक	सीपीवीसी रेसिन	2,024
9ख						सीपीवीसी यौगिक	2,853

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क के लगाए जाने की तारीख अर्थात 26 अगस्त, 2019 से 5 वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं होता है या इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा:

बशर्ते कि उक्त प्रतिपाटन शुल्क उक्त अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क के समाप्त होने की तारीख अर्थात 26 फरवरी, 2020 से लेकर जिस दिन इस अधिसूचना का प्रकाशन सरकारी राजपत्र में होता है उस दिन के तत्काल पूर्व की अवधि तक लागू नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण 1 – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

स्पष्टीकरण 2 - इस अधिसूचना के उद्देश्य से किसी आयात का अवतरण मूल्य वह आंकलन मूल्य होगा जिसका निर्धारण सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा किया गया हो और इसमें उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3, 8ख, 9, 9क के अंतर्गत लगाए जाने वाले शुल्क को छोड़कर सभी प्रकार के सीमा शुल्क शामिल होंगे ।

[फाइल संख्या 354/110/2019 –टीआरयू]

(गौरव सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार